

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 62/2017 अपील (राजस्व)

श्रीमती राधी बेवा रूपा डांगी, निवासी मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्त

बनाम

श्री पुष्करलाल (माता सीमा) पिता मांगीलाल डांगी, नाबालिग बविलायत संरक्षक भग्गा पिता नारू डांगी, निवासी हरदावतो की मगरी, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लै. रे. एक्ट विरुद्ध आदेश तहसीलदार मावली दिनांक 25.05.17 बाबत नामान्तरकरण संख्या 77 मौजा बापेर

- उपस्थित : 1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्त
2. श्री सुनील शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक:—20.07.2018

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कथित अपीलीय नामान्तरकरण से संबंधित आराजीयात के संबंध में अपीलान्त ने माना, भोली, सीमा आदि के विरुद्ध दिनांक 09.01.09 को न्यायालय उप जिला कलक्टर मावली में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके मुकदमा नम्बर 06/09 वादपत्र है तथा इस वाद के साथ अपीलान्त ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी माना, भोली, सीमा आदि के विरुद्ध प्रस्तुत किया जिसपर बाद सुनवाई

न्यायालय उप जिला कलक्टर मावली द्वारा दिनांक 09.01.09 को आगामी तारीख पेशी तक रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात् यह अस्थायी निषेधाज्ञा पेशी पर पेशी बढ़ाई गई व दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 13.11.09 को माना, भोली, सीमा आदि के विरुद्ध मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया गया कि विवादीत आराजी का बेचान नहीं करें व यथास्थिति बनाये रखें। जो आज भी कायम है जिसके मुकदमा नम्बर 05/09 प्रार्थना पत्र हैं। उक्त प्रकरण में माना, भोलीबाई बेवा गांगा, सीमा बेवा मांगीलाल की मृत्यु हो गई हैं। भोली की वारिस सीमा है तथा सीमा की भी मृत्यु हो जाने से सीमा का पुत्र पुष्कर पिता मांगीलाल एकमात्र वारिस है, पुष्करलाल नाबालिग होकर अपने चाचा भग्गा पिता नारू डांगी निवासी हरदावतो की मगरी घासा के संरक्षण में हूँ तथा भोली व सीमा की मृत्यु बाद विरासत का नामान्तरकरण पुष्करलाल के नाम खोला जाकर स्वीकृत करा लिया गया है जबकि दौराने वाद इस तरह का नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिये तथा विवादित आराजी के संबंध में हिस्से का भी विवाद है अर्थात विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा अपीलान्ट का है व 1/5 हिस्सा भोली व सीमा का है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में मौरूस दोला की मृत्यु बाद दोला के पुत्र माना व गांगा के नाम ही दर्ज की गई जबकि दोला के तीन पुत्रियों डाली, राधी व लाली के बराबर हक व हिस्सा होते हुए भी दर्ज नहीं की गई है जबकि प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। सीमा व भोली के नाम गलत इन्द्राज होते हुए पुष्कर के नाम दर्ज कर दी गई है जो बिना अधिकार के हैं। विवादीत आराजी में 2/5 हिस्सा नहीं है वह गलत इन्द्राज करा लिया है जो निरस्त होने योग्य हैं। कानूनी प्रावधानानुसार जहाँ नियमित वाद चल रहा हो वहाँ नामान्तरकरण जैसी समरी कार्यवाही नहीं चल सकती है और यदि ऐसी कोई कार्यवाही शुरू कर दी है तो उसे नियमित वाद के निर्णय तक स्थगित कर देना चाहिये व नियमित वाद के निर्णय अनुसार पालना की जानी चाहिये। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो को ध्यान में रखे बिना कथित आदेश पारित किया है जो

निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण पारित करने के पूर्व अपीलान्त को कोई सूचना नहीं दी है, ना सुना है। इस कारण भी कथित आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। नामान्तरकरण 45 दिन तक ग्राम पंचायत को सुनने का अधिकार है लेकिन कथित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं सीधा ही तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जो बिना अधिकार के हैं। रेस्पोंडेंट कथित आदेश की आड़ में विवादीत भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं दिनांक 27.11.17 को धमकी दी कि जमीन हमारे नाम हो गई हैं। जमीन पर हम कब्जा करेंगे एवं विक्रय हस्तांतरण करेंगे, जिस पर अपीलान्त ने दिनांक 28.11.17 को पटवारी हल्का से पता किया तो कथित नामान्तरकरण रेस्पोंडेंट के पक्ष में स्वीकृत होना बताया जिसपर अपीलान्त ने उसी दिन कथित नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील तैयार करा प्रस्तुत की गई है जो अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि नियमित वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखे तथा नियमित वाद के निर्णय अनुसार पालना करें।

अपनी अपील के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादीत नामान्तरकरण संख्या 77 से संबंधित आराजीयात मे प्रार्थीया का हिस्सा है तथा प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से की घोषणा कराये जाने हेतु न्यायालय उपजिला कलक्टर मावली में श्री माना, भोली, सीमा आदि के विरुद्ध दनांक 09.01.09 को प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन होकर जिसके मुकदमा संख्या 06/09 है। इसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर बाद सुनवाई न्यायालय उपजिला कलक्टर मावली द्वारा दिनांक 09.01.09 को रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई जो दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 13.11.09 को माना, भोली,

सीमा आदि को सुनकर दावे के निर्णय तक पाबन्द किया गया कि यथास्थिति बनाय रखे जो आज भी कायम हैं। इस वाद के विचाराधीन होते हुए नामान्तरकरण संख्या 77 प्रार्थीया को बिना सूचना दिये व बिना सूने दिनांक 25.05.17 को स्वीकृत कर दिया गया है जिससे प्रार्थीया के हित प्रभावित हो रहे हैं जिससे प्रार्थीया उक्त नामान्तरकरण के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहती हैं। जिसके लिये न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता है। अतः प्रार्थीया को उक्त नामान्तरकरण के आदेश दिनांक 25.05.17 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिलायी जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई एवं साथ ही लिखित बहस भी प्रस्तुत कि गई जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 का मियाद अवधि कण्डोन किये जाने बाबत व धारा 96 जा.दी. अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति का स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित होने से उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण से संबंधित आराजीयात के संबंध में अपीलान्त द्वारा एक घोषणा का वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपजिला कलक्टर मावली के यहाँ प्रस्तुत कर रखा है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.11.09 को माना, भोली, सीमा आदि के विरुद्ध मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया गया कि विवादीत आराजीयात का बेचान नहीं करें व यथास्थिति बनाये रखे। परन्तु हाल में भोली, सीमा व माना की मृत्यु हो चुकी है। सीमा का पुत्र पुष्करलाल के नाम अपीलीय नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने दावा खोला गया है। जबकि कानूनन दौराने वाद इस तरह का नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिये। जबकि विवादीत आराजीयात के संबंध में हिस्से का भी विवाद है। अपीलान्त मुल पुरुष दौला की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वैध वारीस है

जिसका भी उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार काबिज चली आ रही हैं। जबकि सीमा व भोली के नाम गलत इन्द्राज होते हुए पुष्कर के नाम दर्ज कर दी गई जो बिना अधिकार के हैं। विवादीत आराजी में 2/5 हिस्सा नहीं हैं। गलत इन्द्राज किये जाने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्त हितबद्ध व्यक्ति हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण पारित करने के पूर्व कोई सूचना भी नहीं दी। रेस्पोंडेंट कथित आदेश की आड़ में विवादीत भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। वर्तमान में पुष्करलाल नाबालिग होकर अपने चाचा भग्गा पिता नारू जी डांगी निवासी हरदावतो की मगरी, घासा के संरक्षण में है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्ववान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्त द्वारा घोषणा का वाद उपजिला कलक्टर मावली में किया गया है जिसमें मूल वाद के निर्णय तक वाद वर्णित भूमि का बेचान नहीं करने का स्थगन प्रदान किया गया है। परन्तु ऐसा स्थगन नहीं दिया गया है जिसमें भूमि की यथास्थिति बनायी रखी जा सके। विपक्षी संख्या 3 की मृत्यु हो जाने के कारण विरासत के आधार पर उसे नाबालिग पुत्र के नाम नामान्तरकरण खोला गया है। जिसमें किसी भी तरह से न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की गई। खोला गया नामान्तरकरण बेचान के आधार पर नहीं खोला गया है। जिस कारण कोई हेतुक पैदा नहीं होता है। प्रस्तुत लिखित बहस शामिल पत्रावली की गई। राजस्व रेकार्ड में भूमि मृतक के नाम दर्ज नहीं रह सकती हैं। मृतक के वैध वारीसानो के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की एक सतत प्रक्रिया है। अपीलार्थी द्वारा जो घोषणा का वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है वही से उसे अनुतोष प्राप्त होगा। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फौरी कार्यवाही है। जिसमें किसी के हक हकुक तय नहीं किये जा सकते हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलीय

नामान्तरकरण विरासत से खोला गया हैं। राजस्व अभिलेख में भूमि मृतक के नाम दर्ज नहीं रह सकती हैं। अपीलार्थी द्वारा घोषणा का नियमित दावा उपखण्ड अधिकारी मावली के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया हैं। जो विचाराधीन हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फौरी कार्यवाही है जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। अपीलार्थी के हम इस कथन से सहमत नहीं है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये स्थगन आदेश दिनांक 13.11.09 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। न्यायालय द्वारा मात्र ताफैसला मूल वाद भूमि का बेचान नहीं करने संबंधी स्थगन आदेश प्रदान किया गया हैं। अपीलीय नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खोला गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण को खोलने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई हैं। परन्तु पक्षकारानो के मध्य वादकरण की बाहुल्यता नहीं बढ़े इसलिये रेस्पोंडेंट पुष्करलाल (माता सीमा) पिता मांगीलाल डांगी नाबालिग बविलायत संरक्षक भग्गा पिता नारू डांगी निवासी हरकावतो की मगरी, घासा को पाबन्द किया जाता है कि उपखण्ड न्यायालय मावली में विचाराधीन घोषणा का मुल वाद 06/09 के निर्णय तक अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 25.05.17 ग्राम बापेर से हस्तान्तरीत आराजीयात का किसी प्रकार से बैह बक्षीस नहीं करें। नाही अन्य किसी को हस्तान्तरित करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारीज की जाती हैं।
पत्रावली फ़ैसल शुमार हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर